समूह -I अनुमोदन एवं अनुशंसा अपेक्षित मदें

ई सी :10:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को व्यवस्थित होने की घोषणा

कार्यवृत्त

10.01.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन को व्यवस्थित बतलाया। अध्यक्ष ने आरंभ में ही प्रथम कार्यकारी परिषद के सम्मानित सदस्यों के प्रति सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम कार्यकारी परिषद की अंतिम बैठक में उनकी भव्य उपस्थिति के लिए अपना सहर्ष धन्यवाद ज्ञापित किया तथा विश्वविद्यालय भवन प्रक्रिया के प्रति उनके अवदानों के लिए अपनी कृतज्ञता एवं आभार स्वीकार किया ।

ई सी :10:02	निधन सूचना

कार्यवृत्त

10.02.1 जापान में आए सूनामी एवं भूकंप से हुए निधन एवं विनाश की सूचना को सदन के समक्ष गहरे शोक के साथ प्रस्तुत किया गया । दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया ।

ई सी :10:03	उप कुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

10.03.1 उपकुलपति नेकार्यकारी परिषद की दिनांक 20.02.2011 की बैठक के बाद विश्वविद्यालय द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों एवं प्रगति पर अपना प्रेक्षण दिया । सदन ने रिपोर्ट किए गए कार्य निष्पादन उल्लेखों पर अपनी समग्र संतुष्टि व्यक्त किया । माननीय सदस्यों का विभिन्न बिंदुओं पर दिया गया व्यक्तिगत प्रेक्षण नीचे वर्णित हैं :

10.03.2 श्री बेजबरूआ ने कहा कि सदस्यगण सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ अपने साहचर्य पर गौरवान्वित है तथा विश्वविद्यालय के उज्जवल भविष्य के प्रति कोई संदेह नहीं है । वास्तव में सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ जुड़ाव सदस्यों के लिए एक गौरव की बात है तथा वे कामना करते हैं कि विश्वविद्यालय भविष्य में इसी रफ्तार से कार्य करता रहेगा । उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को एक समग्र कागजात तैयार करना चाहिए, जिसमें "हमने कैसे शुरूआत की एवं हमने कितना हासिल किया तथा हमारी भविष्य की योजनाएं क्या है" के ऊपर अंतर्वस्तु हों ।

10.03.3 प्रो0 सूर्यवंशी ने कहा कि विगत तीन वर्षों में विश्वविद्यालय ने पर्याप्त प्रगति की है, तथा इन्हीं के साथ स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है । यह अपनी विशिष्ट पहचान के साथ सर्वोत्तम संस्थानों में से एक हो गया है । देश में ऐसे कम संस्थान हैं, जो कि एशिया भर से छात्रों को लेने की प्रत्याशा करते हैं । तथा इसका पूरा श्रेय संस्थापक उपकुलपति एवं उनके दल को जाता है, जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया । कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में इसके साथ सहभागिता सदैव ही हर्ष का विषय था । उन्होंने निम्नलिखित प्रश्न किया, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अध्यक्ष द्वारा निम्न रूप से दिया गया:

प्रश्न: क्या एस सी/एसटी/अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग सेंटर में अन्य अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान की जाएगी ?

अध्यक्ष का उत्तर: विश्वविद्यालय ने यह सुविधा अन्य छात्रों के लिए भी खुला रखा है ।

प्रश्न: क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई छात्र आता है तो क्या उसे सिक्किम विश्वविद्यालय मे पाठ्यक्रम के मध्य में प्रवेश दिया जाएगा ?

अध्यक्ष का उत्तर: विश्वविद्यालय का उद्देश्य एक पूर्ण क्रेडिट स्थानांतरण पद्धति के निर्माण का है । यदि क्रेडिटों का अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण किया जाता है और सिक्किम विश्वविद्यालय के क्रेडिट से मेल खाता है, तो ऐसा किया जा सकता है । क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग की पूरी प्रणाली के लिए पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु, सेमेस्टर एवं आवंटित क्रेडिटों में सामंजस्य की आवश्यकता होती है, जहां कहीं भी क्रेडिटों में मेल नहीं खाता है ।

प्रश्न: स्थानांतरण के ऐसे मामले में डिग्री किस प्रकार प्रदान की जाएगी ?

अध्यक्ष का उत्तर: छात्र को कोर पाठ्यक्रम की संयुक्त डिग्री प्रदान की जाएगी ।

प्रश्न: क्या विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित आंतरिक गुणता आश्वासन कक्ष आई क्यू एम के प्रकार का है ?

अध्यक्ष का उत्तर: जी हां, ऐसा ही है ।

10.03.4 डा0 आनंदकृष्णन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र अपना विज्न डाक्यूमेंट तैयार करना चाहिए । विजन डाक्यूमेंट को इस प्रकार विन्यस्त किया जाना चाहिए कि "सिक्किम विश्वविद्यालय को एक अनुसंधान विश्वविद्यालय कहा जाए" अनुसंधान विश्वविद्यालय के मामले में इसे पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों, अंतर-शास्त्रीय कार्यक्रमों आदि पर प्रमुखता से केंद्रित होना चाहिए । बहुत से विश्वविद्यालयों की सामान्य प्रवृत्ति जॉब अभिमुखित पाठ्यक्रमों के निर्माण की होती है । इसे वहां संबद्ध किया जाना चाहिए, जहां इसकी वास्तविक रूप से जरूरत है । सिक्किम विश्वविद्यालय को अपने महाविद्यालयों को इसी रूपरेखा का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । विश्वविद्यालय संकाय को अग्रिम अनुसंधान के प्रति आकांक्षी होना चाहिए ।

10.03.5 माननीय सदस्य ने आगे कहा कि छात्रों द्वारा अनुसंधान पर व्यतीत किया जाने वाला आनुपातिक समय अधिक हो । इस विश्वविद्यालय को अन्यों के अनुसंधान विश्वविद्यालय विजन स्टेटमेंट का अध्ययन करना चाहिए तथा इसका उपयोग करके हमारे विश्वविद्यालय को पूर्ण रूपेण अनुसंधान अभिमुखित बनाया जाना चाहिए।

10.03.6 प्रोफेसर मृणाल मिरी ने प्रेक्षण किया कि यह देखना कितना सुखद है कि विश्वविद्यालय अपने शैशवकाल से वयस्कता में परिणत हो गया है । जैसा कि होता है, कार्यकारी परिषद दूरस्थ माध्यम से कार्य करता है, परंतु यह नेतृत्व है, जो कार्य के प्रति प्रभावी होता है। सिक्किम विश्वविद्यालय की विगत 3 वर्षों में हुई सतत् वृद्धि सुखदप्रतीत होती है । संस्थापक उपकुलपति का एक शिक्षाशास्त्री एवं एक प्रशासनिक नेता दोनों के रूप में नेतृत्व ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है । अन्य विश्वविद्यालयों को इन गुणों के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए । वर्तमान में विश्वविद्यालय अपनी वयस्क अवस्था से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर है, इसे अवश्य ही अंतर शास्त्रीय दृष्टिकोण एवं अन्य शास्त्रों के साथ कार्य/शिक्षण इंटरफ़ेस सुनिश्चित करना चाहिए। यह ना सिर्फ विभिन्न शास्त्रों के शिक्षण को मिश्रित किया जाना है । अंतर शास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसरण किए जाने के लिए प्राथमिक मॉडल होना चाहिए। यह विश्वविद्यालय के लिए उत्तम होगा यदि यह एकीकृत अंतर शास्त्रीय शिक्षण एवं अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है । ऐसा करने में बाधाएं अत्यधिक कठोर होती है तथा इन्हें शिक्षण के स्तर पर तोड़े जाने की आवश्यकता है। इसके लिए संकाय को कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है तथा सिक्किम विश्वविद्यालय इसमें मार्ग प्रशस्त करें ।

चर्चाओं को समेकित करते हुए सम्मानित सदस्यों ने निम्नलिखित परीक्षण किया।

10.03.7 **प्रो0 आनंद कृष्णन:** उप कुलपति द्वारा भरा गया उत्साह, साथ ही गुणता एवं क्षमता के साथ लिया गया साहसी निर्णय सिक्किम विश्वविद्यालय को अपने समकालीनों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा दिलवाने में सक्षम हुआ है । उन्होंने उपकुलपति के प्रति विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रिया में किए गए उनके पहल के लिए सम्मान व्यक्त किया । उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के प्रति अपनी शुभेच्छा भी व्यक्त किया ।

10.03.8 **श्री बेजबरुआ**: सिक्किम विश्वविद्यालय का साहचर्य उनके लिए एक शिक्षण अनुभव था । हालांकि में पूर्वोत्तर एवं देश के अन्य भागों के कई विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ अपनी सहयोगिता पर वे गौरान्वित हैं।

10.03.9 श्री नवांग गोम्बु ने सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा अब तक किए गए अच्छे कार्यों के लिए हार्दिक रूप से संतुष्टि व्यक्त कीतथा भविष्य में इन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने उल्लेख किया कि यह विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के लिए एक गौरव है।

10.03.10 **<u>प्रोफ़ेसर सूर्यवंशी</u>** ने कहा कि विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रिया में संपूर्ण विश्वविद्यालय दल, शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद एक सामांगी दल के रूप में संलग्न है तथा विश्वविद्यालय द्वारा की गई अतुलनीय प्रगति के लिए उत्तरदाई है । प्रथम कार्यकारी परिषद के सदस्यगण भविष्य में भी अपने सर्वोत्तम अवदान के लिए विश्वविद्यालय के प्रति उपलब्ध रहेंगे।

10.03.11 **<u>प्रोफेसर मृणाल मिरी</u>** ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय के साथ कार्य करना उनके लिए सुखद आश्चर्य था। उपकुलपति का नेतृत्व अनुकरणीय है तथा विश्वविद्यालय का नेतृत्व सदैव एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । देश के कई शैक्षणिक संस्थानों को सिक्किम विश्वविद्यालय की वृद्धि एवं अनुभव से सीखने की जरूरत है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि यांग्यांग स्थित भूमि अधिग्रहण की समस्याओं का शीघ्र निदान होगा ।

10.03.11 श्री एस के प्रधान ने सिक्किम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्त किया कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के साथ सहयोजीत हो कर खुश है, जिसने उन्हें प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ बातचीत करने का एक अवसर प्रदान किया । उन्होंने आगे कहा कि इसे अभिलिखित किया जाए कि सिक्किम सरकार इच्छुक है कि विश्वविद्यालय में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के कर्मचारियों के संबंध में पदों की भर्ती करते समय नियुक्तियां सिक्किम से योग्य अभ्यर्थियों पर विचार करते हुए की जाए।

ई सी :10:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 20.02.2011 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

10.04.1 दिनांक 20.02.2011 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि कर ली गई, जो कि कार्यसूची मद के साथ संलग्नक ई सी X 01 के रूप में संलंग्न है ।

ई सी :10:05	कार्यकारी परिषद की दिनांक 20.02.2011 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

10.05.1 दिनांक 20.02.2011 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को सदन द्वारा नोट किया गया एवं इसकी पुष्टि कर ली गई , जो कि अनुलग्नक ई सी X 02 के रूप में संलंग्न है ।

ई सी :10:06	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - "कदाचार" से संबंधित खंड

कार्यवृत्त

10.06.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत "कदाचार" से संबंधित खंड पर संशोधन पर विचार किया तथा इसका कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किया ।

ई सी :10:07	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - सेमेस्टर अंतराल से संबंधित खंड

कार्यवृत्त

10.07.1 सदन ने सेमेस्टर ब्रेक सं संबंधित खंड पर कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इस पर चर्चा की । सदन ने शैक्षणिक परिषद द्वारा सेमेस्टर ब्रेक का वर्तमान दस वर्षों से पाठ्यक्रम अवधि के तीन गुणा में पुनर्निधारण के सुझाव पर विचार किया । सदन ने तदनुसार शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा का अनुमोदन किया । यद्यपि, सदन ने सुझाव दिया कि कथित निर्णय पर विश्वविद्यालय कुछ अवधि के बाद अपने अनुभवों के आधार पर पुनर्विचार करे ।

ई सी :10:08	परीक्षा पर अध्यादेश शून्य सेमेस्टर से संबंधित खंड के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

10.08.1 सदन ने शून्य सेमेस्टर से संबंधित खंड के प्रति संशोधन पर विचार एवं इसका अनुमोदन किया ।

ई सी :10:09	परीक्षा पर अध्यादेश - मूल्यांकन पैटर्न से संबंधित खंड के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

10.09.1 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्टकारी टिप्पणी के रूप में प्रस्तावित मूल्यांकन पैटर्न से संबंधित खंड के प्रति संशोधन पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया।

ई सी :10:10	परीक्षा पर अध्यादेश के सत्र 2011-12 से लागू होने वाले नए पाठ्यक्रम हेतु उत्तीर्णता प्राप्तांक से संबंधित खंड के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

10.10.1 सदन ने शैक्षणिक सत्र 2011-12 से लागू होने वाले पाठ्यक्रम हेतु उत्तीर्णता प्राप्तांक से संबंधित खंड के प्रति संशोधन पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया।

10.10.2 सदन ने शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संशोधनों पर भी विचार किया :

1. सामान्य पाठ्यक्रमों (बी ए/बी कॉम/बी एस सी/) में एक सेमेस्टर से तत्काल अगले सेमेस्टर में पदोन्नति हेतु अर्हता के लिए, किसी अभ्यर्थी को 40% अंको की न्यून्तम पूर्णयोग अनुरक्षित करना आवश्यक है, साथ ही उसे व्यक्तिगत पत्र/विषय में न्यून्तम 35% अंक

पृष्ठ का 339

प्राप्त करना होगा । इसे वर्ष 2011-12 के आगामी सत्र से संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में नामांकन ग्रहण करने वाले छात्रों के समूह हेतु प्रभावी किया जाए ।

2. यह भी देखा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा बी एड/एम एड हेतु निर्धारित उत्तीर्णता प्राप्तांक के मामले में यह एन सी टी ई द्वारा निर्धारित प्राप्तांक से कम है । इस मामले में संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र किसी संस्थान में शिक्षण नियोजन हेतु योग्य नहीं भी हो सकते हैं, यदि उसने एन सी टी ई द्वारा निर्धारित अंकों की न्यून्तम प्रतिशतता प्राप्त न की हो ।

10.10.3 सदन ने पास कोर्स हेतु उत्तीर्णता प्रतिशत को बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि किसी छात्र को 40% अंकों का पूर्णयोगप्राप्त करना अनिवार्य होगा, साथ ही उसे शैक्षणिक सत्र 2011-12 से व्यक्तिगत पत्र /विषय में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना होगा।

10.10.3 बीएड/ एमएड परीक्षाओं के मामले में एनसीटीई द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरुप उत्तीर्णता प्रतिशत के पुनरीक्षण पर अनुशंसा के संबंध में, सदन ने प्रेक्षण किय कि चूंकि प्रस्तावित परिवर्तन का लक्ष्य किसी बहुत विशिष्ट/ व्यवसाय उद्देश्य के लिए रखा गया था , अत: उत्तीर्णता प्रतिशत में परिवर्तन के बदले में विश्वविद्यालय संबंधित छात्रों को प्राप्त स्थिति के बारे में संवेदनशील कर सकता है।

ई सी :10:11	परीक्षा पर अध्यादेश - परिणामों की संपुष्टि से संबंधित खंड के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

10.11.1 सदन ने परीक्षा पर अध्यादेश में परिणामों की संपुष्टि से संबंधित खंड के प्रति संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन किया ।

10.11.2 प्रो0 मृणाल मिरी ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र निर्धारक एवं मूल्यांकनकर्ता हेतु मानदेय की राशि में वृद्धि पर विचार कर सकता है ।

ई सी :10:12	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - "अभ्यर्थियों का अंतर-महाविद्यालय स्थानांतरण "से संबंधित खंड लागू किया जाना ।

कार्यवृत्त

10.12.1 सदन ने "अभ्यर्थियों का अंतर-महाविद्यालय स्थानांतरण " से संबंधित खंड लागू किए जाने पर शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचार किया ।

10.12.2 शैक्षणिक परिषद ने इन संशोधनों की दूरगामी एवं प्रगतिशील प्रकृति देखते हुए यह अनुशंसा कीकि कथित संशोधनों के ड्राफ्ट की विकल्प आधारित क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के प्रावधानों पर विचार करते हुए पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इस तथ्य की दृष्टि से, की प्रथम कार्यकारी परिषद का कार्यकाल दिनांक 4 अप्रैल 2011 को समाप्त होने वाला है, कार्यकारी परिषद से अनुरोध किया गया कि उपकुलपति को संशोधन को पुनर्लेखन करने तथा शैक्षणिक परिषद के समक्ष उनकी आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के बाद इसेकार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

10.12.3सदन ने उपरोक्त का अनुमोदन किया तथा उपकुलपति को इस खंड का उपयुक्त ढंग से पुनर्लेखन करने तथा शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर इसे कार्यान्वित करने के पूर्वइनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया।

ई सी :10:13	एफ फिल/पी एच डी पर अध्यादेश

कार्यवृत्त

10.13.1 सदन ने नोट किया कि शैक्षणिक परिषद ने सिर्फ एम फिल अध्यादेश की अनुशंसा की है तथा विश्वविद्यालय को अध्यादेश को पी एच डी के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप पूर्नलेखित करने का निर्देश दिया ।

10.13.2 कार्यकारी परिषद ने तदनुसार इनके समक्ष प्रस्तुत एम फिल कार्यक्रम से संबंधित अध्यादेश का अनुमोदन किया ।

ई सी :10:14	बी एस सी - एम एस सी भूविज्ञान कार्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन।

कार्यवृत्त

10.14.1 सदन ने बी एस सी-एम एस सी भूविज्ञान कार्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया, जो कि इनके समक्ष अनुलग्नक ई सी X .05 के रूप में प्रस्तुत था ।

ई सी :10:15	बी म्यूजिक- एम म्यूजिक सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

10.15.1 सदन ने इनके समक्ष अनुलग्नक ई सी -X-06 के रूप में प्रस्तुत सिलेबस पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया ।

ई सी :10:16	बी बी ए - एम बी ए हेतु सिलेबस का अनुमोदन।

कार्यवृत्त

10.16.1 सदन ने इनके समक्ष अनुलग्नक ई सी X- 07 के रूप में प्रस्तुत बी बी ए - एम बी ए हेतु सिलेबस पर विचार किया तथा सैद्धांतिक रूप से इसका अनुमोदन किया ।

10.16.2 सदन ने शैक्षणिक परिषद के इस मत पर भी विचार किया कि इसे किसी बाद की तारीख को आवश्यकताओं को अनुरूप संशोधित किया जाए । आगे यह भी प्रेक्षित किया गया कि विश्वविद्यालय सिलेबस में वाणिज्य विधि/कंपनी विधि, कार्पोरेट शासन, मिडिया प्रबंधन जैसे विनियामक पत्रों को सम्मिलित किए जाने पर विचार करे, जिसपर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय सहमत हुआ ।

10.16.3 कार्यकारी परिषद ने तदनुसार विश्वविद्यालय को शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर सिलेबस को आगे पुनरीक्षित करने एवं तदनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया ।

ई सी :10:17	बी सी ए - एम सी ए हेतु सिलेबस का अनुमोदन।

कार्यवृत्त

10.17.1 सदन में पाठ्यचर्या विकास समिति द्वारा लाई गई प्रथम ड्राफ्ट सिलेबस संरचना (जोकि अनुलग्नकई सी X - 08 के रूप में संलग्न थी) तथा यह की शैक्षणिक परिषद की राय थी की इसे आवश्यकताओं के अनुरूप बाद की किसी तारीख को संशोधित किया जाए, को नोट किया।**10.17.4**कार्यकारी परिषद ने इसका सैद्धांतिक रुप से अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय को अंतिम रुप से सिलेबस तैयार करने तथा इसे शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया ।

ई सी :10:18	नेपाली भाषा में एम ए हेतु सिलेबस का अनुमोदन।

कार्यवृत्त

10.18.1 सदन ने सी डी सी के रिपोर्ट पर , जो कि अनुलग्नक अनुलग्नकई सी X - 09 के रूप में संलग्न थे, साथ ही शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विचार किया कि यदि आवश्यक हो तो इसका आवश्यकताओं के अनुरूप बाद कि कितनी तारीख को संशोधन किया जाए।

10.18.2 **तदनुसार सदन ने इसका अनुमोदन किया ।**

ई सी :10:19	एथ्नोबॉटनी एवं सामाजिक औषधी अध्ययन में एम एस सी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

10.19.1 सदन ने सी डी सी के रिपोर्ट परविचार किया, जो किकार्यसूची मद के साथ अनुलग्नक अनुलग्नकई सी X - 10 के रूप में संलग्न थी । सदन ने शैक्षणिक परिषद की इस अनुशंसा परभी विचार किया कि इसे आवश्यकताओं के अनुरूप बाद कि कितनी तारीख को संशोधन किया जाए।

10.19.2 तदनुसार सदन ने इसका अनुमोदन किया ।

ई सी :10:20	भौतिक विज्ञान में एम फिल/ पी एच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

10.20.1 सदन ने सी डी सी रिपोर्ट परविचार किया, जो किकार्यसूची मद के साथ अनुलग्नक अनुलग्नकई सी X - 11के रूप में संलग्न थी तथा नोट किया कि सदन ने शैक्षणिक परिषदने अपनी दिनांक 28 मार्च 2011 को आयोजित बैठक में यह अनुशंसाकी थी कि इसका आवश्यकताओं के अनुरूप बाद कि कितनी तारीख को संशोधन किया जाए। यह भी प्रेक्षण किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधिवत् ध्यान रखा जाए ।

10.20.2 कार्यकारी परिषद ने तदनुसार इसका उपरोक्त के अनुरूप अनुमोदन किया ।

ई सी :10:21	वर्ष 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धन प्रदान किया जाना

कार्यवृत्त

10.21.1 सदन ने इस तथ्य पर विचार किया कि सभी महाविद्यालयों को अनंतिम संबद्धन प्रदान किया जाना महाविद्यालयों के संबद्धन की नियमावली में निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति एवं संबद्धन शुल्क के भुगतान की शर्त पर होगा। सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर भी विचार किया कि इसने उपकुलपति को मांगे गए अनंतिम संबद्धन संबंधित महाविद्यालय द्वारा वांछित शर्तों की पूर्ति के शर्त पर प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया है ।

10.21.2 कार्यकारी परिषद ने तदनुसार इनके समक्ष प्रस्तुत शैक्षणिक परिषद की उक्त अनुसंशाओं का अनुमोदन किया ।

पृष्ठ 33 का 13

ई सी :10:22	विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रति मेघा अवार्ड प्रदान

	किया जाना ।

कार्यवृत्त

10.22.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया तथा इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया । सदन ने इस मद पर शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया अध्यक्ष ने उस प्रविधि को भी स्पष्ट किया जिसे विश्वविद्यालय शिक्षकों के मूल्यांकन हेतु अनुसरण करने का आकांक्षी है ।

10.22.2 चर्चा के दौरान श्री बेजबरूआ ने प्रेक्षण किया कि कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु वोटिंग के वनिस्पत विश्वविद्यालय को भारित औसत प्रविधि को भी प्रयोग में लाना चाहिए ।उनकी इच्छा थी कि विकसित पैरामीटर समग्र तथा प्रकृति में समावेशित होना चाहिए । प्रो0 मृणाल मिरी ने सुझाव दिया कि शिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित निर्णयों में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्तित की जाए । शिक्षकों के विरूद्ध कड़ाई से मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । समकक्ष पुनरीक्षण अवश्य होनी चाहिए ।

10.22.3 प्रो0 आनंद कृष्णन ने उल्लेख किया कि शिक्षकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन सिर्फ उनके कक्षा वर्ग में कार्यनिष्पादन का मूल्य निर्धारण नहीं है । उन्होंने कहा कि मापदंडो, यथा (i) वह सामाजिक सरोकारों की पूर्ति किस प्रकार करता है (ii) अंतप्रतिक्रिया करने की योग्यता (iii) कक्षा वर्ग शिक्षण (iv) अन्य महाविद्यालयों एवं बाहरी दुनिया से अंतर्प्रतिक्रिया एवं (v) अनुसंधान कार्य पर भारिता, आदि पर विचार किया जाना चाहिए । यह युवा मस्तिष्क के साथ व्यवसायिक सरोकार है, जिसे अनुसंधान पहले के साथ साथ मूल्यांकित किया जाना चाहिए ।

10.22.4 अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय को प्रथम बार में एकल मापदंड का अनुसरण करना चाहिए एवं बाद में आने वाले वर्षों में और अधिक पैरामीटर विकसित किए जा सकते हैं ।

10.22.5 तत्पश्चात कार्यकार परिषद ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

ई सी :10:23	जन संचार[1] के विषयों में संकाय सदस्यों के चयन हेतु अर्हता का पुनरीक्षण

कार्यवृत्त

10.23.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया तथा मद पर विस्तारपूर्वक चर्चा भी किया । प्रो0 आनंदकृष्णन ने उल्लेख किया कि जब कि जन संचार शास्त्र के मामले में शिक्षण संकायों की अर्हताओं के पुनरीक्षण हेतु प्रकरण बनाए जाने का विचार प्रशंसनीय है, परंतु इसमें

---

[1]**सिक्किम विश्वविद्यालय डा0 इफ्तेखार अहमद, शैक्षणिक परिषद सदस्य के इस कार्यसूची मद को उपलब्ध करने में किए गए अवदान का आभार प्रकट करता है ।**

किए गए कुछेक प्रावधानों को विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं से कार्यान्वित किया जा सकता है । उदाहरणस्वरूप, विश्वविद्यालय किसी भी अनुभवी व्यक्ति को आगंतुक संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित करने के लिए सदैव शक्ति संपन्न है, चाहे उनकी अर्हता कुछ भी हो । प्रोफेसर मिरी ने इंगित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता की पूर्णत: अनदेखी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह निर्धारण इस दृष्टि से किया गया है कि शिक्षण के लिए एक भिन्न प्रकार के मस्तिष्क की आवश्यकता होती है । श्री बेजबरूआ ने उल्लेख किया कि इस प्रस्ताव को कार्यकारी परिषद इस तथ्य के कारण स्वीकार नहीं कर सकता है कि हमलोग यू जी सी के इस विषय पर विचारित दृष्टिकोण एवं आदेशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं । प्रो0 आनंदकृष्णन ने स्पष्ट किया कि यू जी सी को लिखे जाने के नाम पर विश्वविद्यालय को संकाय (आगंतुक संकाय) की नियुक्ति पर अपने अधिकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रति अभ्यर्पित नहीं कर देना चाहिए ।

10.23.2 सदन ने तदनुसार सुझाव दिया कि मामले को शैक्षणिक परिषद के समक्ष एक बार पुन: पुनरीक्षा हेतु भेजा जाए तथा उपकुलपति को इस मुद्दे पर शैक्षणिक परिषद के पुनरीक्षित निर्णयों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

ई सी :10:24	चाय प्रबंधन में डिप्लोमा कार्यक्रम

कार्यवृत्त

10.24.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इस पर गहराई से चर्चा की गई । सदन आश्वस्त था कि इस प्रकार के नवीकरणीय पाठ्यक्रम का चाय की महत्ता के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं वैश्विक दोनों स्तर पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा तथा इसमें चार्य अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन पर बड़ी संख्या में प्रार्थीगण आकर्षित होंगे । सदन ने विचार विमर्श किया कि पाठ्यक्रम का नाम "चाय प्रबंधन" से किसी अन्य शीर्षक में परिवर्तित किया जा सकता है एवं बाद में निर्णय लेकर "चाय प्रबंधन" में डिप्लोमा पाठ्यक्रम ही रखने का सुझाव दिया गया ।

10.24.2 सदन ने तदनुसार इनके समक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया, जैसा कि कार्यसूची के साथ अनुलग्नक ई.सी X 13 के रूप में संलग्न है ।

ई सी :10:25	दिनांक 01.01.2011 से लागू डी ए के अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति के

	परिणामस्वरूप संवीदा पर शिक्षण कर्मचारियों के समेकित वेतन में वृद्धि

कार्यवृत्त

10.25.1 सदन ने दिनांक 01.01.2011 से लागू महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति के कारण प्रस्तावित शिक्षण कर्मचारियों के समेकित वेतन के परिशोधन को अनुमोदित किया।

10.25.2 सदन ने यह भी अनुमोदित किया कि विश्वविद्यालय शिक्षण कर्मचारियों के समेकित वेतन का परिशोधन, जब कभी डी ए दरें परिशोधित होती है, इसे कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रत्येक बार अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए बिना, कर सकता है ।

ई सी :10:26	गैर शिक्षण पदों की अनंतिम स्वीकृति

कार्यवृत्त

10.26.1 सदन ने निम्नलिखित गैर शिक्षण पदों की अनंतिम स्वीकृति दी, जिनके लिए विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रित स्वीकृति हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:

क्र. सं	कैडर	वर्गीकरण	पे बैंड	पे बैंड	ग्रेड पे	मांगे गए पदों की संख्या
1)	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	ए	पीबी 3	15600-39100	8000	1
2)	सहा. पुस्तकालयाध्यक्ष	ए	पीबी 3	15600-39100	6000	1
3)	विश्वविद्यालय इंजीनियर	ए	पीबी 3	15600-39100	7600	1
4)	विकास अधिकारी	ए	पीबी 3	15600-39100	7600	1
5)	संपदा अधिकारी	ए	पीबी 3	15600-39100	5400	1
6)	वरि0 सहा0 व्यव0	बी	पीबी 2	9300-34800	4200	1
7)	कनि0 सहा0 व्यव0	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	1
8)	उप रजिस्ट्रार	ए	पीबी 3	15600-39100	7600	3
9)	सहा. रजिस्ट्रार	ए	पीबी 3	15600-39100	5400	2
10)	उप निदेशक	ए	पीबी 3	15600-39100	7600	0
11)	सहा. निदेशक	ए	पीबी 3	15600-39100	5400	0
12)	कोच	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	1
13)	फील्ड सहा.	सी	पीबी 1	5200-20200	2000	0
14)	पी एस टू वी सी	ए	पीबी 3	15600-39100	7600	0
15)	पी एस	बी	पीबी 2	9300-34800	4200	0
16)	वरि. पी ए	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	9
17)	पी ए	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	10
18)	प्रशा. अधिकारी	ए	पीबी 3	15600-39100	5400	3
19)	लेखा अधिकारी	बी	पीबी 2	9300-34800	4200	4
20)	एस ओ	बी	पीबी 2	9300-34800	4200	10
21)	वरि.सहायक	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	5

22)	**तकनीकी सहायक**	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	**0**
23)	**यू डी सी**	सी	पीबी 1	5200-20200	2400	**25**
24)	**एल डी सी**	सी	पीबी 1	5200-20200	1900	**10**
25)	**क0 स्टोर कीपर**	सी	पीबी 1	5200-20200	2400	**1**
26)	**पी एस ओ**	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	**0**
27)	**सुरक्षा अधिकारी**	बी	पीबी 2	9300-34800	4200	**0**
28)	**सुरक्षा पर्यवेक्षक**	सी	पीबी 1	5200-20200	1900	**1**
29)	**लोक संपर्क अधिकारी**	ए	पीबी 3	15600-39100	5400	**1**
30)	**पुस्तकालय परिचारी**	सी	पीबी 1	5200-20200	1900	**3**
31)	**अस्पताल परिचारी**	सी	1S	4440-7400	1300	**1**
32)	**तकनीकी परिचारी**	सी	पीबी 1	5200-20200	2400	**1**
33)	**ड्राइवर**	सी	पीबी 1	5200-20200	1900	**2**
34)	**कूक**	सी	पीबी 1	5200-20200	1900	**1**
35)	**यातायात पर्यवेक्षक**	बी	पीबी 2	9300-34800	4200	**1**
36)	**सिस्टम एनालिस्ट**	ए	पीबी 3	15600-39100	5400	**3**
37)	**तकनीकी सहायक**	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	**3**
38)	**प्रयोगशाला सहायक**	सी	पीबी 1	5200-20200	2400	**2**
39)	**प्रयोगशाला परिचारी**	सी	पीबी 1	5200-20200	1900	**8**
40)	**वैज्ञानिक अधिकारी**	ए	पीबी 3	15600-39100	5400	**4**
41)	**कनि0 वैज्ञानिक अधिकारी**	बी	पीबी 2	9300-34800	4200	**2**
42)	**मुख्य चिकित्सा अधिकारी**	ए	पीबी 3	15600-39100	7600	**0**
43)	**चिकित्सा अधिकारी**	ए	पीबी 3	15600-39100	6600	**1**
44)	**कनि0 चिकित्सक**	ए	पीबी 3	15600-39100	5400	**1**
45)	**स्टाफ नर्स**	सी	पीबी 2	9300-34800	4200	**1**
46)	**नर्स**	सी	पीबी 1	5200-20200	2800	**2**
47)	**फार्मासिस्ट**	सी	पीबी 1	5200-20200	2800	**1**
48)	**नर्सिंग सहायक**	सी	पीबी 1	5200-20200	2000	**1**
49)	**प्रयोग तकनीशियन**	सी	पीबी 1	5200-20200	2400	**0**
50)	**एक्स रे तकनीशियन**	सी	पीबी 2	5200-20201	2400	**0**
						कुल 130

10.26.2 सदन ने उपकुलपति को कथित पदों के लिए लिखित जांच परीक्षा एवं अंतर्वार्ता रखने तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर , यू जी सी से जब कभी स्वीकृति प्राप्त होती है, उन्हें भरने के लिए प्राधिकृत किया ।

ई सी :10:27	शिक्षण कर्मचारियों की नियमित आधार पर भर्ति हेतु चयन समिति के प्रति सदस्यों को नामित किया जाना

कार्यवृत्त

10.27.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियमित शिक्षण पदों के लिए आवेदनों की अल्प सूचीबद्धता आरंभ की गई है, तथा इसके लिए विज्ञापन दी

गई है, तथा स्कूल-वार विजिटर के नामिती की शीघ्र घोषणा की आशा की गई है, सदन ने उपकुलपति को सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राथमिक सांविधि के संगत प्रावधानों में यथा निर्धारित शिक्षण पदों के लिए चयन समिति के प्रति वांछित संख्या में सदस्यों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया । सदन ने उपकुलपति को अंतर्वार्ता प्रक्रिया आरंभ करने एवं तदनुसार संकाय सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए भी प्राधिकृत किया ।

ई सी :10:28	विश्वविद्यालय हेतु सिलीगुड़ी में भूमि अधिग्रहण

कार्यवृत्त

10.28.1 सदन ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा उपकुलपति को अपने बाह्य कैंपस कार्यालय एवं अतिथि गृह निर्माण के लिए सिलीगुड़ी के करीब 2 से 3 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने, साथ ही इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस उद्देश्य के लिए निधि मांगने सहित अगली आवश्यक कार्रवाई की पहल करने के लिए प्राधिकृत किया ।

10.28.2 सदन ने विश्वविद्यालय को इस निधि हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से औपचारिक अनुमति प्राप्त करने का अनुदेश भी दिया ।

ई सी :10:29	विश्वविद्यालय अतिथि गृह के लिए नई दिल्ली में फ्लैट की खरीद

कार्यवृत्त

10.29.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अतिथि गृह हेतु फ्लैट की खरीद के लिए अगली प्रशासनिक कार्रवाई करने में अपना अनुमोदन भी दिया । सदन ने विश्वविद्यालय को आगे अनुदेश दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसके लिए औपचारिक अनुमोदन की मांग क्रय प्रक्रिया साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक निधि प्राप्त करने के पूर्व करें ।

ई सी :10:30	शिक्षण कर्मचारियों की छुट्टी नियमावली

कार्यवृत्त

10.30.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि नियमित आधार पर भर्ति की छुट्टी नियमवली विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी तथा द्वितीय कार्यकारी परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी ।

10.30.2 सदन ने यह भी उल्लेख किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (3) के अनुसार उपकुलपति, यदि उनकी राय हो कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी में अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत निहित किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को अगली बैठक में दी जाएगी ।

10.30.3 बशर्ते कि यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो इस मामले को विजिटर के समक्ष प्रेषित किया जाना चाहिए, जिनकी राय अंतिम मानी जाएगी ।

10.30.4 सदन द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि ऐसा आवश्यक हो तो छुट्टी नियमावली को उपकुलपति द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित करा ली जाए तथा इस पर अगले कार्यकारी परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन लिया जाए ।

ई सी :10:31	वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक लेखाओं को अंगीकृत किया जाना

कार्यवृत्त

10.31.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा यह उल्लेख करते हुए इसका अनुमोदन किया कि वार्षिक लेखाएं, वित्त समिति की अनुशंसा पर, सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(3) के प्रावधानों के अंतर्गत उपकुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाए, जिसमें कि उपकुलपति के प्रति आपातकालीन शक्तियां उपबंधित हैं ।

ई सी :10:32	उपकुलपति के प्रति शक्तियोंका प्रत्यायोजन

कार्यवृत्त

10.32.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विशद विचार किया ।सदन न सलाह दी की उपकुलपति में सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार महत्वपूर्ण मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक शक्तियां निहित हैं । उपकुलपति द्वारा लिए गए ऐसे सभी निर्णय अगले कार्यकारी परिषद के समक्ष उनके सूचनार्थ एवं अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु , यदि ऐसी कोई अधिनियम में निर्धारित है, प्रस्तुत किया जाए ।

10.32.2 सदन ने इस प्रकार अनुभव किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(3) में निहित प्रावधानों पर दृष्टि रखते हुए उपकुलपति के प्रति ऐसी किसी शक्तियों का प्रत्यावर्तन आवश्यक नहीं है ।

ई सी :10:33	रजिस्ट्रार के पद पर भर्ति

कार्यवृत

10.33.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे नोट किया ।

समूह –II संपुष्टि अपेक्षित मदें

ई सी :10:34	शून्य सेमेस्टर मामलों का अनुमोदन

कार्यवृत्त

10.34.1 सदन ने कार्यसूची मद के साथ संलग्न अनुलग्नक ई सी X-17 में अंतर्निहित शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित शून्य सेमेस्टर मामलों को सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी :10:35	सेमेस्टर ब्रेक मामलों का अनुमोदन

कार्यवृत्त

10.35.1 सदन ने कार्यसूची मद के साथ संलग्न अनुलग्नक ई सी X-18 में अंतर्निहित शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित सेमेस्टर ब्रेक मामलों को सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी :10:36	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय द्वारा संदर्भित सुधार पत्र मामले

कार्यवृत्त

10.36.1 सदन ने उनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया ।

ई सी :10:37	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों (नियमित एवं संवीदाजन्य) की नियुक्ति/पदत्याग

कार्यवृत्त

10.37.1 सदन ने कार्यसूची मद में उल्लेखित शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों (नियमित एवं संविदाजन्य) के नियुक्ति/पदत्याग को नोट किया एवं संपुष्टि की ।

ई सी :10:38	5 संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण की रिपोर्ट

कार्यवृत्त

10.38.1 सदन ने नोट किया कि शैक्षणिक परिषद कार्यसूची में उल्लेखित पांच संबद्ध महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्टों पर सामुहिक रूप से विचार किया है, तथा उन्हें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है, साथ ही उपकुलपति को प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर वर्ष 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धन प्रदान करने पर विचार करने के लिए प्राधिकृत किया है ।

10.38.2 सदन ने यह भी नोट किया कि शैक्षणिक परिषद ने उपकुलपति को आगे सलाह दी है कि मामले पर अस्थायी संबंधन प्रदान करने पर विचार करते समय, यदि आवश्यक हो, वे महाविद्यालय उस कार्यक्रम हेतु मान्यता प्राप्त मान सकते हैं , जिनमें कमियां पाई गई हैं तथा वे उसके संबद्धन को रोक सकते हैं ।

10.38.3 सदन ने शैक्षणिक परिषद की उपरोकत दो अनुशंसाओं पर अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए अनुसार विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया ।

ई सी :10:39	मूल्यांकन पैर्टन से संबंधित परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

10.39.1 सदन ने नोट किया कि कार्यसूची मद में रिपोर्ट किया गया संशोधन शैक्षणिक परिषद के समक्ष उनकी दिनांक 28.03.2011 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया था कि कथित प्रावधानों की निरंतरता जारी रखी जाए अथवा नहीं । शैक्षणिक परिषद को यह रिपोर्ट की गई थी कि संशोधित पद्धति ने अच्छा कार्य किया है । सदन ने आगे नोट किया कि शैक्षणिक परिषद ने इस पर विचार किया तथा अनुशंसा की कि इसे आगे जारी रखी जाए ।

10.39.2 शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विचार करते हुए सदन ने मूल्यांकन पैटर्न से संबंधित परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन की निरंतरता का अनुमोदन किया, जैसा कि कार्यसूची में रिपोर्ट की गई थी ।

समूह –।।।मार्गदर्शन हेतु एवं सूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें

ई सी :10:40	विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय

कार्यवृत्त

10.40.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया तथा इस पर साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय पर पड़ने वाले इसके विभिन्न परिणामों पर भी चर्चा की गई । सदन का मत था कि इस मुद्दे को लोक क्षेत्र में व्यापक विचार विमर्श के लिए रखा जाए, ताकि कोई प्रस्ताव बन सके । प्रो0 आनंदकृष्णन ने सरकार द्वारा ऐसे भ्रान्त शिक्षा संस्थानों के विरूद्ध कारवाठ्र करने में ढिलाई पर आश्चर्य व्यक्त किया।

10.40.2 उपकुलपति ने सदन के समक्ष स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित विकलप है:

i. इस मुद्दे पर यू जी सी को विस्तार से लिखा जाए
ii. इस मुद्दे पर एम एच आर डी को एक प्रस्ताव हेतु एक बार पुन: स्मरण करवाया जाए
iii. यदि आवश्यक जान पड़े तो विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया जाए ।
iv. स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय यू जी सी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत व्याप्त नहीं है ।

10.40.3 इस मुद्दे पर आगे चर्चा के दौरान सदन ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालय के नाम मे परिवर्तन को निपटान के अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाए तथा विश्वविद्यालय को सदन में चर्चा के अनुसार अन्य बिंदुओं का अनुसरण करने की सलाह दी गई, इनमें उपकुलपति द्वारा दिए गए सुझाव भी सम्मिलित है ।

ई सी :10:41	वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक रिपोर्ट

कार्यवृत्त

10.41.1 सदन ने विश्वविद्यालय की वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया तथा व्यय एवं अंतर्वस्तुओं के लिए अपनी सराहना दर्ज की ।

ई सी :10:42	वर्ष 2011-12 के लिए विश्वविद्यालय विवरणिका

कार्यवृत्त

10.42.1 सदन ने शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में नामांकन हेतु विश्वविद्यालय की विवरणिका को नोट किया तथा इसके लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की ।

ई सी :10:43	वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट

कार्यवृत्त

10.43.1 सदन ने कार्यसूची के साथ अनुलग्नक ई सी – X -20 के अनुसार वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट पर विचार, नोट एवं भूरी - भूरी प्रशंसा किया ।

ई सी :10:44	संयोजकता की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट

कार्यवृत्त

10.44.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत संयोजकता की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट को नोट किया। श्री बेजबरूआ ने सलाह दी कि विश्वविद्यालय को पुस्तकालय में प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक पासवर्ड बनाना चाहिए तथा इसका लॉग विवरण भी रखना चाहिए ।

10.44.2 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विश्वविद्यालय में इंटरनेट सुविधा सामान्य नागरिकों एवं छात्रों दोनों के लिए शुल्क रहित उपलबध है, अत: ऐसी सुरक्षा उपाय विश्वविद्यालय के पक्ष में कंप्यूटर के आतंकवाद एवं संबंधित गतिविधियों में उपयोग किए जाने पर रोक के लिए आवश्यक है ।

ई सी :10:45	सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित किया जाना

कार्यवृत्त

10.45.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया ।

पृष्ठ 33 का 24

ई सी :10:46	संबद्ध महाविद्यालयों के साथ 3रा अंतर्प्रतिक्रियात्मक सत्र

कार्यवृत्त

10.46.1 सदन ने बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया, जो अनुलग्नक ई सी X-21 के रूप में कार्यसूची मद के साथ संलग्न था तथा इसे नोट किया ।

ई सी :10:47	नए भवनों को किराए पर लिए जाने की स्थिति

कार्यवृत्त

10.47.1 सदन को कार्यसूची मद के माध्यम से सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अब तक निम्न सारणी में उल्लेखित भवनों को अपने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उद्देश्यों से किराए पर लिया गया है :

क्र. सं	भवन का नाम	स्वामी	फ्लोर एरिया (वर्ग फीट)	प्रति वर्ग फीट (₹)	मासिक किराय (₹)
1	शैक्षणिक भवन ।	शिव कुमार प्रधान	3156	8	25000
2	शैक्षणिक भवन ।।	दयमंती शर्मा	7500	10	75000
3	लेखा खंड	दीपक छेत्री	5000	9	45000
5	राथुंग गंगा शैक्षणिक खंड	अनामिका बस्नेत	6750	9	60500
6	नर्मदा पौहानरी शैक्षणिक खंड	जय श्री प्रधान	8355	10	83500
7	राप ज्योर - कावेरी गर्ल्स होस्टल	हेमलता छेत्री	10983	10	109800
8	नारसिंग झेलम मूल्यांकन खंड	प्रह्लाद भक्ति शर्मा	4280	9	38500
9	कंचनजंघा प्रबंधन खंड	सिक्किम सरकार	11799	7	80900
10	विश्वविद्यालय, अतिथि गृह- ।, सिलीगुड़ी	श्रीमती उर्मिला लामा	778.14	10	7500
11	विश्वविद्यालय, अतिथि गृह- ।।, सिलीगुड़ी	श्री ललित कुमार छेत्री	778.14	10	7500
12	ब्यॉज हॉस्टल एवं शैक्षणिक खंड	श्री के के प्रधान	16122	12	194900
13	नवीन पुस्तकालय भवन	श्री एम के शर्मा	10168	10	104269
कुल			832369		

10.47.2 सदन को आगे सूचित किया गया कि निम्नलिखित भवन किराए पर लिया जाना प्रस्तावित है :

क्र. सं	भवन स्वामी का नाम	अवस्थिति	फ्लोर एरिया (वर्ग फीट)	दर (प्रति वर्ग फीट)[2]	ग्रहण करने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	श्री डी डी प्रधान	डेवलपमेंट एरिया	17340	Quoted Rs. 20-23/-per sq.ft. [i.e. Rs.398820/- p.m.]	25.02.2011	नवीनीकरण कार्य जोरों पर, दिनांक 06.03.2011 को सीपीडब्लयूडी द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया
2	श्री मदन कुमार छेत्री	डाडागांव	24666.80	Rs. 12 per sq. ft. [i.e Rs.295992 p.m.]	30.04.2011	नवीनीकरण कार्य क्रमिक रूप से अप्रैल के आस पास आरंभ होगा - तल वार/भवन अगले सेमेस्टर के आरंभ होने के पूर्व जून/जुलाई 2011 में पूर्णत: तैयार होगा वास्तविक सत्यापन सीपीडब्यलूडी द्वारा 9 से 16.04.2011 के बीच किए जाने की संभावना
3	श्रीमती शोभा शर्मा	7वां माइल, सामदुर	35x45 (करीब)	Rs. 11/- per sq. ft. [i.e. Rs. 86625/- p.m.]	28.02.2011	नवीनीकरण कार्य जोरों पर , वास्तविक सत्यापन सीपीडब्लयूडी द्वारा 05.03.2011को किया गया
4	श्री बासुदेव प्रधान	मार्चक (5 माइल लैंड प्रेमिसेस)	1800 X 5 तल 9000 (करीब	Rs. 9/-per sq.ft. [i.e. Rs.109800/- p.m.]	28.03.2011	नवीनीकरण कार्य जोरों पर सीपीडब्यलूडी से उचित किराया प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ
5	श्रीमती के.डी भुटिया	6ठा माइल, तादोंग	11000 करीब.	Rs. 15/-per sq.ft. [Rs.1,65,000/-p.m.]	28.03.2011	नवीनीकरण के अधीन, वास्तविक सत्यापन सीपीडब्लयू डी द्वारा 06.03.2011 को किया गया
6	श्रीमती हेमलता छेत्री	6ठा माइल, तादोंग	9000 अतिरिक्त जगह	Rs. 10/- per sq. ft. [i.e.Rs.90,000/- p.m]	31.03.2011	नवीनीकरण के अधीन, वास्तविक सतयापन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 06.03.2011 को किया गया ।

10.47.3 सदन को कार्यसूची मद द्वारा यह भी सूचित किया गया कि नए भवनों के बारे में अनुमानित किराया लागत ₹ 12 लाख प्रति माह होगा ।

---

2 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उचित किराए के अंतिम निर्धारण की शर्त पर

10.47.4 **यह कहा गया कि विश्वविद्यालय कार्यालय एवं शैक्षणिक उद्देश्यों से प्रयुक्त किए जा रहे वर्तमान भवनों** पर ₹ 8.5 लाख प्रति माह का भुगतान कर रहा है, इस प्रकार किराए के भवनों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹ 20.5 प्रति माह (लगभग) हो जाएगी, जिसका अर्थ ₹ 2.5 करोड़ प्रतिवर्ष है ।

10.47.5 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत सभी उपरोक्त विवरणें को अभिलेख हेतु नोट किया ।

ई सी :10:48	स्वीकृत संख्याबल एवं पदस्थापित कर्मचारियों की स्थिति

कार्यवृत

10.48.1 **सदन के समक्ष निम्नलिखित सारणी प्रस्तुत किया गया, जिसमें 20.02.2011 तक स्वीकृत पदों, शिक्षण एवं गैर शिक्षण, दोनों की स्थिति दर्शाई गई है ।**

क्र. सं	पदनाम	स्वीकृत पदें	पदधारी की स्थिति	रिक्ति स्थिति	रिक्ति के कारण
1.	प्रोफेसर	29	0	29	उन विभागों के लिए नियमित आधार पर पदधारी की प्रतीक्षा, जो कार्यरत हैं
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	68	0	68	उन विभागों के लिए नियमित आधार पर पदधारी की प्रतीक्षा, जो कार्यरत हैं ।
3.	सहा. प्रोफेसर/एसोसिएट फेलो	104	49(संवीदा)	55	वर्तमान विभागों के लिए पदधारियों की भर्ति संविदा आधार पर की गई है, तथा रिक्ति स्थिति खोले जाने वाले विभागों की स्थिति है । इन मामलों में भी पदों को नियमित आधार पर भरी जा रही है ।

10.48.2 **शिक्षण पदों की पदधारी स्थिति का विभाग वार वितरण नीचे सारणी में दी गई है :**

क्र. सं.	पदनाम	विभाग	उप कुलयोग	कुलयोग
1	सहायक प्रोफेसर	माइक्रोबायोलॉजी	3	
		समाजशास्त्र	3	
		शांति एवं संघर्ष	3	
		आई आर	3	
		फ्लोरीक्लचर	4	

		मनोविज्ञान	2	
		विधि	3	
		भौतिकी	4	
		भुगोल	4	
		रसायनशास्त्र	3	
		जनसंचार	4	
		अर्थशास्त्र	3	
		चीनी	4	
			43	43
2	एसोसिएट फेलो			6
			कुल	49

10.48.3 गैर शिक्षण पदों की स्थिति निम्नानुसार है :

गैर शिक्षण स्वीकृत संख्याबल पदधारी स्थिति दिनांक 01.04.2011 तक							
		स्वीकृत	आई आई पी नियमित	आई आई पी संविदा जन्य	आई आई पी कुल	रिक्ति	रिक्ति/अधिकता के कारण
क्र.सं	पद	सं0	सं0	सं0	सं0	सं0	
	समूह क						
1	वी सी	1	1	0	1	0	शून्य
2	रजिस्ट्रार	1	0	0	0	1	भर्ति की जा रही है
3	एफ ओ	1	1	0	1	0	चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण अपेक्षित
4	सी ओ ई	1	0	0	0	1	ई सी द्वारा स्वीकृत ओ एस डी का एक पद को यू जी सी द्वारा स्वीकृत 2 पदों के अतिरिक्त प्रयासित किया जा रहा है
5	लाइब्रेरियन	1	0	0	0	1	चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण अपेक्षित
6	उप रजिस्ट्रार	2	3[3]	0	3	-1	ई सी द्वारा स्वीकृत ओ एस ठी का एक पद को यू जी सी द्वारा स्वीकृत 2 पदों के अितरिक्त प्रचालित किया जा रहा है
7	सहायक रजिस्ट्रार	3	3	0	3	0	शून्य
8	पी एस	3	1	0	1	2	भर्ति किया जा रहा है
	उप कुल (ए)	13	8	0	9	4	
	समूह ख						
10	अनुभाग अधिकारी	4	1	1	2	2	भर्ति किया जाना है
	उप कुल (बी)	4	1	1	2	2	
	समूह ग						
11	सहायक	2	2	2	4	-2	कार्यभार प्रबंधन हेतु अतिरिक्त श्रमशक्ति संवीदा आधार पर नियोजित किया गया है । अधिक का समायोजन यू जी सी द्वारा अतिरिक्त गैर शिक्षण पदों की स्वीकृति पर किया जाएगा ।

3 कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी दिनांक 03.11.2010 की बैठक में अनुमोदित विशेष कार्यअधिकारी का एक पद इंगित करता है, एवं फरवीर 2011 में प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा ।

12	**यू डी सी**	**2**	**2**	**10**	**12**	**-10**	**वही**
13	**एल डी सी**	**4**	**4**	**6**	**10**	**-6**	**वही**

10.48.4 समर्थक कर्मचारी सहित कर्मचारियों की समग्र मानव संसाधन स्थिति (शिक्षण एवं गैर शिक्षण दोनों) नीचे की सारणी में सदन में प्रस्तुत किए गए थे :

क्र. सं	पद का नाम	शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक	पदस्थापन स्थिति
1)	उपकुलपति	गैर-शैक्षणिक	1
2)	वित्त प्रमुख [वित्त अधिकारी]	गैर-शैक्षणिक	1
3)	फेलो (शैक्षणिक)	गैर-शैक्षणिक	1
4)	एसोसिएट फेलो	गैर-शैक्षणिक	6
5)	कार्यकारी कार्यक्रम	गैर-शैक्षणिक	1
6)	कार्यकारी - सिस्टम एनालिस्ट	गैर-शैक्षणिक	1
7)	सहायक प्रोफेसर	शैक्षणिक	43
8)	प्रबंधक [उप रजिस्ट्रार]	गैर-शैक्षणिक	3
9)	उप रजिस्ट्रार [सहायक रजिस्ट्रार]	गैर-शैक्षणिक	3
10)	वरिष्ठ कार्यकारी [अनुभाग अधिकारी]	गैर-शैक्षणिक	2
11)	कार्यकारी [सहायक]	गैर-शैक्षणिक	2
12)	सहायक कार्यकारी [प्रवर श्रेणी लिपिक]	गैर-शैक्षणिक	12
13)	कनिष्ठ कार्यकारी [अवर श्रेणी लिपिक]	गैर-शैक्षणिक	10
14)	पी ए	गैर-शैक्षणिक	1
15)	पुस्तकालय व्यवसायिक	गैर-शैक्षणिक	2
16)	पुस्तकालय सहायक	गैर-शैक्षणिक	2
17)	कूक	गैर-शैक्षणिक	1
18)	ड्राइवर	गैर-शैक्षणिक	1
19)	कार्यालय समर्थक /सफाई समर्थक	गैर-शैक्षणिक	25
कुल		**118**	

10.48.5 सदन ने उपरोक्त विवरण अभिलेख हेतु नोट किया ।

ई सी :10:49	हर्कमाया महाविद्यालय में नामांकन क्षमता में वृद्धि

कार्यवृत्त

10.49.1 सदन ने कार्यसूची मद साथ ही इस पर शैक्षिणक परिषद की अनुशंसा पर विचार किया । शैक्षणिक परिषद द्वारा यथा अनुशंसित जबकि विश्वविद्यालय एन सी टी ई द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अंतग्रहण क्षमता को अस्वीकार नहीं कर कसता हे, परंतु विश्वविद्यालय एन सी टइ ई को इसके द्वारा महाविद्यालय में लक्षित कमियों के बारे में उल्लेख करते हुए लिख सकता है, ताकि विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण अभिलेखित हो सके ।

10.49.2 सदन ने शैक्षणिक परिषद के दृष्टिकोण से सहमति दिखलाई तथा विश्वविद्यालय को तदनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।

ई सी :10:50	एफ फार्म पाठ्यक्रम में अंतर्ग्रहण क्षमता में वृद्धि ;-हिमालयान फार्मेसी संस्थान

कार्यवृत्त

10.50.1 इस मद को सचिव द्वारा बैठक के दारान मौखिक रूप से स्पष्ट किया गया। सदन ने स्पष्ट किए गए कार्यसूची मद पर विचार किया । प्रो0 आनंदकृष्णन ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय का समाज के प्रति भी कर्तव्य है । महाविद्यालय के बार में स्पष्ट की गई कमियों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार करते हुए यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय को अंतर्ग्रहण क्षमता में वृद्धि की अनुमति नहीं देना चाहिए, जब तक क सभी समस्याओं का उचित रूप से निपटारा नहीं किया जाता है ।

ई सी :10:51	आंतरिक गुणता आश्वासन केंद्र स्थापित किया जाना

कार्यवृत्त

10.51.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया, साथ ही यह नोट किया कि इसे शैक्षणिक परिषद के समक्ष इनकी आमागी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

ई सी :10:52	सिक्किम विश्वविद्यालय में लैंगिक संवेदनशीलता यूनिट

कार्यवृत्त

10.52.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना दर्ज की ।

ई सी :10:53	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त

10.53.1 कोई अन्य मद नहीं होने के कारण अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई । अध्यक्ष ने प्रथम कार्यकारी समिति द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय को उपलबध करवाए गए अत्यधिक मूल्यवान मार्गदर्शन एवं निर्देश के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की तथा उल्लेख किया कि इसके बिना विश्वविद्यालय इतनी प्रगति नहीं कर सकता था । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सदन के प्रत्येक सदस्य ने विश्वविद्यालय के कार्यों में गहरी अभिरूचि लिया तथा इसे पूर्णरूपेण समर्थन उपलबध करवाया । संस्थापन उपकुलपति ने उल्लेख किया कि ऐसा कम ही होता है कि विश्वविद्यालय को अपने प्रथम कार्यकारी परिषद में ही ऐसे अनुभवी एवं ज्ञानी शिक्षाविद् प्रशासक एवं लोकनायकों का सदस्य के रूप में मागदर्शन प्राप्त होता है । विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रिया की आरंभिक अवस्था में प्राप्त ज्ञान इस विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ बनाने में अत्यंत सहायक होगा । संस्थापक उपकुलपति की अभ्युक्तियों का प्रतयुत्तर देते हुए प्रो0 आनंदकृष्णनन ने उल्लेख किया कि विगत तीन वर्ष बहुत ही रोचक एवं आह्लादकारी रहा, तथा उपकुलपति द्वारा इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने में प्रदर्शित ऊर्जा ऐसी विषम परिस्थितियों के बाबजूद भी बहुत प्रशंसनीय था । उन्होंने उल्लेख किया कि उपकुलपति गुणता शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ही साहसिक नई दिशाएं दी, तथा देश के समकक्षों के बीच उनकी बहुत प्रतिष्ठा है । कई वरिष्ठ नीति नियंता आपका उपकुलपति के रूप में बहुत आदर एवं सम्मान करते हैं । मैं उपकुलपति को उनके सपने की पूर्णता हेतु शुभेच्छा रखता हूं । उन्होंने श्री पी वी रवि को भी अच्छे कार्यों एवं कार्यकारी परिषद को दिए गए उनके समर्थन के लिए सराहना की, साथ ही उन्होंने उपकुलपति से सभी संकाय एवं कार्मिक सदस्यों के प्रति कार्यकारी परिषद की ओर से उनके अथक प्रयासों एवं अवदानों के लिए प्रशंसा ज्ञापित करने का अनुरोध किया ।

10.53.2 श्री बेजबरूआ ने आशा व्यक्त की कि गुणता शिक्षा की इस रफ्तार के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई मौलिक समस्याओं को सुलझाने में सफल होगा ।

10.53.3 प्रो0 सूर्यवंशी ने उल्लेख किया कि हमारा सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ एक लगाव पैदा हुआ है तथा विश्वविद्यालय से कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी कोई सहायता मांगने के लिए कहा । विश्वविद्यालय इतने कम समय में इतनी अधिक उपलब्धि पा सकी और हमलोग आशा करते हैं कि अगले कुछ वर्षों में यह उल्लेखनीय प्रगति करेगा ।

10.53.4 प्रो0 मृणाल मिरी ने उपकुलपति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उल्लेख किया कि उपकुलपति का नेतृत्व बहुत ही अनुकरणीय है तथा इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया । दुर्भाग्यवश कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इसकी कमी होती है । सिक्किम विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है, उससे हमें सीखने की आवश्यकता है ।

पृष्ठ 33 का 31

10.53.5 सम्मानित सदस्यों ने प्रेक्षण किया कि जब कि कार्यकारी परिषद एक प्रशासनिक निकाय है, जो निर्देश दे सकता है, परंतु इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व उपकुलपति एवं उनके दल पर होता है । सदन ने उपकुलपति एवं उनके विश्वविद्यालयी दल द्वारा प्रदर्शित उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन के लिए गहरी प्रशंसा एवं संतुष्टि व्यक्त किया, तथा आने वाले समय में ऐसा ही उत्साह, लगन, सरोकार से परिपूर्ण कठिन परिश्रम करने के लिए शुभकामना दी ।

10.53.6 तत्पश्चात अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों को विश्वविद्यालय प्रतीक चिह्न प्रदान किया।

ह0
(डा0 ज्योति प्रकाश तामांग)
रजिस्ट्रार एवं सचिव
कार्यकारी परिषद